**भारत सरकार**

**पोत परिवहन मंत्रालय**

**राज्यर सभा**

अतारांकित प्रश्नव सं.**133** जिसका उत्तहर

सोमवार, 30 नवंबर, 2015/9 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है

**पत्तान न्या सों की कार्यकारी समितियों का पुनर्गठन**

**133. डा . वी. मैत्रेयन :**

क्याा **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार , मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले पत्तगन न्याासों के कार्यकारी समूहों/समितियों के पुनर्गठन का विचार रखती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संीबंधी ब्यौेरा क्या है

(ग) क्याय सरकार ने यह सुनिश्चिसत कर लिया था कि विभिन्ना पत्तकन न्याससों के कार्यकारी समूहों और समितियों को, समुचित तकनीकी, शैक्षिक और समाज शास्त्री□य परिप्रेक्ष्यू के लोगों का पर्याप्तन प्रतिनिधित्व प्राप्तर हुआ है

(घ) देश के विभिन्नो पत्तान न्या्सों को सहायता देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए मंत्रालय द्वारा गठित पत्तनन न्यापस वार समितियों/कार्यकारी समूहों की पूर्ण सूची क्यार है और

(ड.) निजी पत्तननों तथा अधिशासी / प्रबंध समितियों के गठन का पत्तरनवार ब्यौ रा क्याा है?

**उत्त र**

**पोत परिवहन राज्यरमंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्णतन्)**

(क) से (घ) : ग्याणरह महापत्तंन न्यागसों से अनुरोध किया गया है कि वे पुनर्गठन के बारे में निर्णय लेने की दृष्टि से अपनी मौजूदा पत्त्न सलाहकार समिति का कार्य प्रारंभ नहीं करें ।

(ड.) : भारतीय पत्तनन अधिनियम 1908 की धारा 3 (9) के अनुसार, महापत्तगनों के अलावा अन्यड पत्तरन्नोंजिन्हेंी गैर-महापत्त्न भी कहा जाता है , पर संबंधित राज्य सरकारों का क्षेत्राधिकार है । ऐसे 200 गैर महापत्तसन हैं जो राज्य् सरकारों के अधीनस्थ, हैं । चूँकि गैर महापत्तान संबंधित राज्य, सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं , इसलिए अधिशासी / प्रबंध समिति के गठन के संबंध में जानकारी पोत परिवहन मंत्रालय , भारत सरकार के पास नहीं है।

******